भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1057
22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अतिसार के कारण बच्चों की मौत

1057. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. अमोल रामासिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिल कुमार एस.:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़े (आईडीएफसी) के आरंभ के बाद अतिसार के कारण होने वाली बच्चों की मौतों को रोकने में सफल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) योजना के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या योजना के कार्यान्वयन के बाद से इस तरह की घटनाओं में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो योजना के शुरू होने के बाद से इस संबंध में दर्ज किए गए मामलों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने बाल्यावस्था में अतिसार के कारण एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीएफसी)-2022 भी शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार अतिसार के कारण बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए कोई अन्य नीतियां/योजनाएं लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): भारत के महापंजीयक द्वारा जारी मृत्यु के कारणों के आंकड़े संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, डायरिया के चलते 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर वर्ष 2014-16 में 7.5% की तुलना में घटकर वर्ष 2015-17 में 6.4% हो गई है।

डायरिया से होने वाली मृत्यु की चुनौतियों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014 से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) कार्यान्वित करता है।

गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)-2022 को 13 जून, 2022 को शुरू किया गया है। आईडीसीएफ की कार्यनीति इस प्रकार है:-

- देशभर में घरों में ओआरएस की बेहतर उपलब्धता और उपयोग के साथ डायरिया के रोगी बच्चों में ओआरएस और जिंक उपयोग की उच्च कवरेज दरें सुनिश्चित करना।
- पानी की कमी (डीहाइड्रेशन) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सुविधाकेंद्र स्तर पर सुदृढ़ीकरण।
- आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण पर संवर्धित प्रचार और संप्रेषण तथा डायरिया की रोकथाम और प्रबंधन के लिए परिचर्या प्रदाताओं को उपयुक्त व्यवहार की जानकारी देना।

आईडीसीएफ कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल और स्वच्छता विभाग, शिक्षा विभाग तथा राज्य/ जिला/ उप-जिला स्तर पर जनजातीय कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाएगा ताकि डायरिया के चलते रुग्णता और मृत्यु दर में कमी की जा सके।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सर्वेक्षण से पहले के 2 सप्ताह में डायरिया की व्याप्तता वर्ष 2015-16 में 9.2% से घटकर वर्ष 2019-21 में 7.3% हो गई है। एनएफएचएस के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत बच्चों में डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- बच्चों में रोटावायरस डायरिया के चलते मृत्यु और रुग्णता में कमी करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत रोटावायरस वैक्सीन (आरवीवी) की संख्या को बढ़ाया गया है।
- समुदाय और सुविधाकेंद्र स्तर पर फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशाकर्मियों और एएनएम के माध्यम से उपयुक्त पूरक आहार के साथ-साथ शीघ्र और पूर्ण रूप से स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है।
- डायरिया के प्रबंधन के लिए आईएमएनसीआई (नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन) तथा एफआईएमएनसीआई (सुविधाकेंद्र आधारित नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन) के माध्यम से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और चिकित्सा अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया गया है।
- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के माध्यम से डायरिया के प्रकोप की पहचान करने के लिए निगरानी कार्यकलाप भी किए जाते हैं।

अनुलग्नक I

संकेतक	सर्वेक्षण से पहले के 2 सप्ताह में डायरिया की व्याप्तता (%) (5 साल से कम उम्र के बच्चे)	
	एनएफएचएस IV (2015-16)	एनएफएचएस V (2019-21)
भारत	**9.2**	**7.3**
आंध्र प्रदेश	6.6	7.2
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.3	5.6
अरुणाचल प्रदेश	6.5	5.1
असम	2.9	5.5
बिहार	10.4	13.7
चंडीगढ़	4.6	4.3
छत्तीसगढ़	9.1	3.6
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.1	2.6
गोवा	3.8	3.2
गुजरात	8.4	8.2
हरियाणा	7.7	4.9
हिमाचल प्रदेश	6.6	4.7
जम्मू और कश्मीर	7.6	5.6
झारखंड	6.9	7.2
कर्नाटक	4.5	5.3
केरल	3.4	4.3
लद्दाख	3.1	8.5
लक्षद्वीप	6.3	2.3
मध्य प्रदेश	9.5	6.4
महाराष्ट्र	8.5	8.9
मणिपुर	5.8	5.6
मेघालय	10.6	10.4
मिजोरम	7.6	4.3
नगालैंड	5.1	3.4
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.6	10.6
ओडिशा	9.8	9.7
पुदुच्चेरी	11.3	3.7
पंजाब	6.6	4.9
राजस्थान	7.4	6.1
सिक्किम	1.8	5.5
तमिलनाडु	8.0	3.7
तेलंगाना	8.2	7.4
त्रिपुरा	4.9	6.2
उत्तर प्रदेश	15.0	5.6
उत्तराखंड	17.0	4.4
पश्चिम बंगाल	5.9	6.5

*****